कार्यालय, अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

Email Id – datiamedicalcollege@gmail.com

पता – 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिनकोड–475661 **Website – www.datiamedicalcollege.com**

पत्र क्रमांक 03/पैरा.मेडि./द.चि.म./2025

दतिया, दिनांक – 23/01/2025

//पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश//

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया मे शिक्षण सत्र 2023–24 के लिये निम्नानुसार पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23/01/2025 से 06/02/2025 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र	पाठ्यक्रम	उपलब्ध सीट की श्रेणीवार संख्या																				कुल सीट संख्या	पाठ्यक्रम की अवधि	न शै र
		अनारक्षित				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				ई.डब्ल्यू. एस.						
		ओपन	महिला	इन–सर्विस	दिव्यांग	ओपन	महिला	इन–सर्विस	दिव्यांग	ओपन	महिला	इन–सर्विस	दिव्यांग	ओपन	महिला	इन–सर्विस	दिव्यांग	ओपन	महिला	इन–सर्विस	दिव्यांग			10
1	Diploma in Medical Lab Technician	6	4	1	1	3	2	1	0	4	3	1	0	5	4	1	1	2	1	0	0	40	2 वर्ष	(मी रस जी के न्यू अ वर्ग प्रि एव आ वर्ग प्रि अ सा कि मा प्रा से उ
2	Certificate O.T. Technician	6	4	1	1	3	2	1	0	4	3	1	0	5	4	1	1	2	1	0	0	40	1 वर्ष	

नोट:–1 उपरोक्त दर्शायी गई सीटों में कमी एवं वृद्धि हो सकती है एवं सभी श्रेणी के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी (यूआर) के रूप में सम्मिलित हो सकते है।

आवेदन पत्र का प्रारूप व नियम शर्तो की विस्तृत जानकारी महाविद्यालय की बेवसाइट www.datiamedicalcollege.com से डाउनलोड किया जा सकता है। अनारक्षित वर्ग (UR) के लिए आवेदन शुल्क रूपये 600/– मात्र तथा आरक्षित वर्ग (OBC, SC, ST एव EWS) के लिए आवेदन शुल्क रूपये 400/– का डीडी **शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, ओटोनोमस सोसायटी दतिया** के नाम से बनवाकर जमा करें। भरे हुए आवेदन फार्म सलग्नक सूची अनुसार वाछित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियों एवं उपरोक्तानुसार आवेदन शुल्क का डीडी सहित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, 29वीं बटालियन के पास एन एच 44, जिला दतिया (म.प्र.) पिनकोड 475661 मे कार्यालयीन समय मे दिनांक 06/02/2025 शाय 5.00 बजे तक व्यक्तिगत/डाक द्वारा जमा करावे। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनो पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। पाठ्यक्रम प्रवेश मेरिट के आधार पर महाविद्यालय द्वारा ऑफलाइन काउंसलिंग के माध्यम से दिया जावेगा। काउसलिंग का विस्तृत शेड्यूल बेवसाइट पर उपलब्ध है। काउसलिंग मे भाग लेते समय अभ्यर्थियो द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन के साथ सलग्न किये गये अभिप्रमाणित दस्तावेजों की मूलप्रतियों एवं निर्धारित शिक्षण शुल्क साथ मे लेकर आना सुनिश्चत करें। इस हेतु पृथक से कॉल लेटर नहीं भेजा जायेगा। काउसलिंग मे भाग लेने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
दतिया (म.प्र.)

नोट– 1 उपरोक्त पाठ्यक्रम में किसी भी पाठ्यक्रम मे सीटो की सख्या कम या ज्यादा करने का अधिकार संस्था का रहेगा।

2 यदि अपरिहार्य कारणों से काउसलिंग की तिथिया परिवर्तित/स्थागित होती हैं तो उसकी सूचना बेवसाइट/महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध होगी।

प्रारूप कमांक 01

पैरामेडिकल पाठ्यकम हेतु आवेदन का प्रारुप शैक्षणिक सत्र 2023–24

प्रति,

अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी,
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
दतिया (म.प्र.)

डिमाण्ड ड्राफ्ट कमांक/रसीद कमांक	दिनांक	राशि

1. Name of Candidate in Capital Letter: ....

आवेदक का नाम स्पष्ट अक्षरों में (हिन्दी में): ....

2. Sex (F/ M): ....

3. Category (श्रेणी): SC/ST/OBC/UR ....

4. Name Of Father In Capital Letter :Mr.....................................

पिता का नाम (हिन्दी में): श्री ....

पिता का व्यवसाय: .... वार्षिक आय :...................................

पिता का फोन/मोबाईल नं...

5. Name Of Mother In Capital Letter :Smt. ....

माता का नाम (हिन्दी में): श्रीमति ....

6. जन्म तिथि (Date Of Birth): अंकों में –... .(dd/mm /yyyy)

शब्दों में– ....

7. Permanent Full Address In Capital Letter : ....

.... Pin Code.............

पूर्ण स्थाई पता (हिन्दी में): ....

....पिन कोडः– ....

8. वर्तमान पता पिन कोड सहित :..

....

9. आवेदक का मोबाइल नम्बर : (1) ....(2)..............................

आवेदक की ईमेल–आईडी. : ....आवेदक के पिता का मोबाइल नं:.....

10. आवेदक का आधार कार्ड नं. : ....

11. विवाहित स्थिति :– विवाहित/अविवाहित. विवाह का दिनांक ....

13. क्या आवेदक म.प्र. का मूल निवासी है: ....(हां/नहीं)

14. क्या आवेदक शासकीय सेवारत कर्मचारी है :..(हां/नहीं)

15. शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification):-

Exam Passed	Board	Roll No.	Passing Year	Subjects	Total Marks	Out of Marks	Percentage
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
10th							
12th							

दिनांक ....समय..................

अभ्यर्थी के हस्ता.
नाम..................................
मोबाईल नं...

//घोषणा–पत्र//

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नि..शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम ....में प्रवेश के समय एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन–पत्र में दी गई समस्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतः सत्य है। किसी भी समय मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाए जाने पर मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही के अधीन मेरा यह आवेदन एवं प्रवेश निरस्त किया जा सकता है, जिनका पूर्ण उत्तरदायित्व मुझ आवदेन कर्ता पर होगा।

हस्ताक्षर अभिभावक ....   हस्ताक्षर आवेदक ....

नाम अभिभावक ....   नाम आवेदक ....

दिनांक ....

स्थान ....

विशेष –

पूर्णतः भरे एवं हस्ताक्षारित इस आवेदन प्रपत्र एवं संलग्न अभिलेखों को ए–4 आकार के पत्राचारण में सुरक्षित रूप से बंद करके अग्र उपरी भाग पर सह चिकित्सकीय पाठ्यक्रम आवेदन 2023 उल्लेखित करें, तथा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डांक के माध्यम से प्रेषित करें अथवा कार्यालयीन समय में व्यक्तिगत रूप से जमा करें, निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगें।

विस्तृत विवरण, परिनियम, उपबंध वं निर्देश

अ) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथिः 06/02/2025 सांय 5:00 बजे तक।

ब) आवेदन निम्नलिखित पते पर प्रेषित अथवा जमा करें: **शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, 29वीं बटालियन के पास एन.एच. 44, जिला दतिया (म..प्र.) पिनकोड 475661 के पते पर प्रेषित अथवा जमा करें।**

1. उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों पर शासन के नियमों के अनुसार विभागीय नियमित कर्मचारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, (EWS) , के छात्रों को आरक्षण दिया गया है तथा इन सभी श्रेणीयों में महिलाओं तथा दिव्यांगजानों का क्षैतिज आरक्षण भी उक्त प्रत्येक संवर्ग में म.प्र. शासन के नियमानुसार लागू होगा । दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें की विकलांगता प्रतिशत स्पष्ट दर्शाया गया हो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

अस्थि बाधित	अस्थि बाधित 45% से 50% शरीर की निचले हिस्से की विकलांगता मान्य है।

पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र mponline के माध्यम से कर सकते है।

2. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत पात्र पैरामेडिकल विभागीय कर्मचारियों के लिये शासन के नियमानुसार 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी जिन पर नियमानुसार आरक्षण का पालन किया जावेगा । विभागीय कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकारी एवं संचालक स्वास्थ्य सेवाये म.प्र. भोपाल/संबंधित संस्था के प्रमुख का ही मान्य होगा। विभागीय कर्मचारी न होने पर उन्हें आरक्षित सीटें संबंधित वर्ग के ओपन उम्मीदवारों से भरी जायेंगी । विभागीय कर्मचारियों को पाठयक्रम में प्रवेश के समय कार्यमुक्त प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा है।
3. आवेदन–पत्र के साथ अनारक्षित वर्ग (OBC- CREAMY LAYEAR /UR) के अभ्यर्थियों को रूपये 600/– (अंकन छह सौ रूपये मात्र) तथा आरक्षित वर्ग (OBC- NON CREAMY LAYEAR / SC/ST) के अभ्यर्थियों को रूपये 400/–(अंकन तीन सौ रूपये मात्र) का डीडी बनवाकर जमा करना होगा।
4. सभी पाठ्यक्रमों के लिये एक ही आवेदन–पत्र जिसका प्रारूप दिया गया है, देय होगा। पाठ्यक्रमों मे आवेदक के हायर सेकेण्ड्री (10+2) के मैरिट के अनुसार वर्ग मे उपलब्ध सीटों पर मेरिट सूची प्रदर्शित की जायेगी जोकि महाविद्यालय की वेबसाईड www.datiamedicalcollege.com पर उपलब्ध रहेगी ।
5. **शैक्षणिक योग्यताः**–छात्र को बारहवी परीक्षा 10+2 पद्धिति से हायर सेकेण्ड्री भौतिकी, रसायन जीव विज्ञान विषय के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण अनिवार्य है । उक्त सभी कोर्स हेतु अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 33 प्रतिशत अंक अनिवार्य होगा ।
6. **आवेदक की आयुः** प्रवेश हेतु आवेदक की आयु विज्ञापन की तिथि (23/01/2025) को 17 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
7. **प्रवीण्य सूचीः** प्राप्त आवेदनों संवीक्षा के उपरांत, न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा अर्थात् भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान में यदि लागू हो, हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा में अर्जित अंकों के अनुसार एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी । संस्थान में प्रवेश इसी मेरिट सूची के आधार पर दियाा जाएगाः
परन्तु किसी पाठफयक्रम के लिए विहित न्यूनतम अर्हता के आधार पर तैयार मैरिट सूची में अंकों की समानता की दशा में–
(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी एवं क्रमशः स्थानीय जिले के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी
(ख) मेरिट अंक समान होने पर 12वीं में बायलॉजी में अधिक अंक वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी ।
(ग) ऐसे अभ्यर्थी जिनके मेरिट अंक तथा बायलॉजी में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले

आवेदक को वरीयता दी जायेगी ।

(घ) मध्यप्रदेश के निवासियों को पाठयक्रम में प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी तत्पश्चात ही सीटे रिक्त होने पर मध्यप्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के पाठयक्रम प्रवेश पर विचार किया जावेगा जो कि अनारक्षित वर्ग में हो सकेगा।

8. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्कूटनी डॉक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. काउंसिलिंग प्रारंभ होने की तारीख महाविद्यालय की वेबसाईड www.datiamedicalcollege.com पर प्रदर्शित की जावेगी ।

10. **प्रशिक्षण शुल्क का विवरण:–**

क्र.	पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
01	02 वर्षीय डिप्लोमा	56,460 (रू 51,460/–शैक्षणिक शुल्क+रू. 5,000/–सुरक्षा निधि)	रू. 51,460/–
02	01 वर्षीय प्रमाण पत्र	42,160/– (रू 37,160/–शैक्षणिक शुल्क +रू. 5,000/–सुरक्षा निधि)	–
03	विविध शुल्क–मनोरंजन शुल्क/आंतरिक मूल्यांकन शुल्क/प्रयोगशाला शुल्क	1000/–	–
04	विश्वविद्यालय शुल्क	As per University Rules	

उक्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम पूर्णतः स्ववित्तीय पाठ्यक्रम है जिसमें प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शासन द्वारा संचालित ग्रीन कार्ड सुविधा का लाभ नहीं दिया जावेगा।

11. सुरक्षा निधि 5000/–(अंकन पांच हजार रूपये मात्र) प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा । छात्र के द्वारा महाविद्यालय की किसी भी संपत्ति को हानि पहुंचाने पर उक्त सुरक्षा निधि में से वास्तविक राशि काटली जावेगी एवं छात्र को अध्ययन के दौरान 5000/–(अंकन पांच हजार रूपये मात्र) सुरक्षा निधि शेष राशि बनाकर रखना होगा ।

12. उम्मीदवारों को स्कूटनी में उपस्थिति दर्ज कराते समय रूपये 1,000/–(अंकन एक हजार रूपये मात्र) महाविद्यालय की स्वशासी शाखा में 1,000/–(अंकन एक हजार रूपये मात्र) जमा करने की रसीद जो कि अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम देय हो जमा करना अनिवार्य होगा। रसीद के अभाव में उम्मीदवार स्कूटनी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। तथा जमा की गई राशि रूपये 1,000/–(अंकन एक हजार रूपये मात्र) किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं की जावेगी। छात्र द्वारा प्रवेश लेने के पश्चात् शेष फीस की राशि 07 (सात) दिवस के अंदर ड्राफ्ट के माध्यम से (GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AUTONOMOUS SOCIETY DATIA) के नाम पर बनवाकर जमा कर प्रवेश लेना होगा । पूर्ण शिक्षण शुल्क जमा करने के पश्चात ही अभ्यर्थी का प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

13. सीट आवंटन के पूर्व सभी अभ्यर्थी जिन्हें काउंसिलिंग में भाग लेना है उन्हें महाविद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के उपरांत अभ्यर्थी काउंसिलिंग के लिए पात्र होगा। म.प्र. शासन के नियमानुसार काउंसिलिंग एवं पाठ्यक्रम प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार की जावेगी

14. –

(क) सभी पाठ्यक्रमों के लिये एक ही आवेदन–पत्र जिसका प्रारूप दिया गया है, देय होगा। पाठ्यक्रमों का आवंटन आवेदक के हायर सेकेण्ड्री (10+2) के मैरिट के अनुसार वर्ग मे उपलब्ध सीटों पर काउंसिलिंग के द्वारा किया जावेगा। (प्रारूप क्रमांक–03) काउंसिलिंग की प्रक्रिया म.प्र. शासन के नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से प्रारम्भ की जावेगी एवं सीट भरने तक जारी रहेगी। तत्पश्चात अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित वर्गो की क्रमानुसार कांउसलिंग प्रक्रिया की जावेगी । काउंसिलिंग के दौरान आवेदक को उसके दावे पर उपलब्ध पाठ्यक्रम पंसद के अनुसार पाठ्यक्रम सीट भरना होगा । आवेदक को एक ही पाठ्यक्रम की सीट आवंटित होगी ।

(ख) अभ्यर्थी को कांउसिलिंग द्वारा पाठ्यक्रम आवंटित हो जाने के उपरांत महाविद्यालय के अधिष्ठाता (डीन)/प्राचार्य के समक्ष अधिसूचित सात दिवस के अंदर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा, इसके उपरांत ही प्रवेश मान्य होगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रारूप 04 में आवश्यक जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होना होगा । प्रवेश प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है ।

(ग) प्रथम चक्र में भाग लेने वाले अभ्यर्थी जो पाठयक्रम हेतु 14 (क) के अनुसार द्वितीय चक्र में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें काउंसिलिंग के द्वितीय चरण में विकल्प चुनने की सुविधा दी जायेगी, यह विकल्प पाठ्यक्रम/विषय संबंधी हो सकेगा ।

(घ) द्वितीय स्तर की काउंसिलिंग एवं आवंटन आवेदक के हायर सेकेण्ड्री (10+2) के मैरिट के अनुसार वर्ग मे उपलब्ध सीटों पर काउंसिलिंग के द्वारा किया जावेगा। काउंसिलिंग की प्रक्रिया म.प्र. शासन के नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से प्रारम्भ की जावेगी एवं सीट भरने तक जारी रहेगी। तत्पश्चात अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित वर्गो की क्रमानुसार कांउसलिंग प्रक्रिया की जावेगी । काउंसिलिंग के दौरान आवेदक को उसके दावे पर उपलब्ध पाठ्यक्रम पंसद के अनुसार पाठ्यक्रम सीट भरना होगा । आवेदक को एक ही पाठ्यक्रम की सीट आवंटित होगी । आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को 14 (ख) के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

15. **तृतीय स्तर की काउंसिलिंग एवं आवंटन–**

(क) सीट– द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के पश्चात् से आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश न लिये जाने की स्थिति में रिक्त सीट, अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के पश्चात् सीट से त्यागपत्र दिये जाने के फलस्वरूप रिक्त सीट व द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों को तृतीय स्तर की काउंसिलिंग एवं आवंटन के लिये सम्मिलित की जायेगी ।

(ख) अपात्र अभ्यर्थी–

(एक) ऐसे रजिस्ट्रर्ड अभ्यर्थी जो कि पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनकों आवंटित सीट पर प्रवेश लिया है ।

(दो) ऐसे रजिस्ट्रर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व के चरणों की कांउसिलिंग में उनकों आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया है ।

(तीन) ऐसे रजिस्ट्रर्ड अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनकों आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के उपरांत त्याग पत्र दिया गया है ।

(ग) पात्र अभ्यर्थी–ऐसे रजिस्ट्रर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो एवं आवेदन किया गया है ।

(घ) तृतीय स्तर की काउंसिलिंग प्रक्रिया म.प्र. शासन के नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से प्रारम्भ की जावेगी एवं सीट भरने तक जारी रहेगी। यदि फिर भी सीटें रिक्त रह जाती हैं तो यह सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों से भरी जावेंगी। द्वितीय स्कूटनी, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन एवं

आवंटन अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से प्रारम्भ की जावेगी एवं सीट भरने तक जारी रहेगी। यदि फिर भी सीटें रिक्त रह जाती हैं तो यह सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों से भरी जावेंगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से भरी जावेगी। तत्पश्चात रिक्त सभी सीटें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जावेंगी । महिला आवेदक न होने की दशा उन सीटों को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी द्वारा भरी जावेगी । काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख महाविद्यालय की वेबसाईड पर प्रदर्शित की जावेगी । इसकी सूचना अलग से नहीं दी जावेगी। आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को 14 (ख) के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी । स्कूटनी, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन एवं आवंटन का मतलब प्रवेश कदापि नहीं होगा । आवंटन विभिन्न वर्गो में उपलब्ध सीटों के अनुसार मैरिट के आधार पर होगा। प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय की वेबसाईड www.datiamedicalcollege.com पर प्रदर्शित होगी । किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ायी जायेगी । आवेदक प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय समय पर महाविद्यालय की वेबसाईड www.datiamedicalcollege.com का निरंतर अवलोकन करते रहे ।

16. **सीएलसी काउंसिलिंग (मॉपअप राउण्ड)** तृतीय स्तर की काउंसिलिंग एवं आवंटन के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों को मॉपअप राउण्ड के तहत भरी जायेंगी जोकि अभ्यर्थी की ओवर ऑल मेरिट के अनुक्रम में उसके दावे पर उपलब्ध पाठ्यक्रम पसंद के अनुसार होगी । काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख महाविद्यालय की वेबसाईड पर प्रदर्शित की जावेगी । इसकी सूचना अलग से नहीं दी जावेगी। आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को 14 (ख) के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी ।
17. अभ्यर्थी को कांउसिलिंग द्वारा पाठ्यक्रम आवंटित हो जाने के उपरांत महाविद्यालय के अधिष्ठाता (डीन)/प्राचार्य के समक्ष अधिसूचित तारीख तथा समय (सात दिवस) के भीतर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा । इसके उपरांत ही प्रवेश मान्य होगा । चयनित अभ्यर्थियों को प्रारूप 04 में आवश्यक जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज सहित आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होना होगा । प्रवेश प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है ।
18. विज्ञप्ति सीटों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाई/घटाई जा सकती है।
19. प्रवेश के समय स्थानान्तरण एवं माइग्रेशन प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। मूल स्थानांतरण एवं माइग्रेशन प्रमाण–पत्र के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा स्कूटनी के समय जमा राशि रू 1,000/–(एक हजार रूपये) मात्र वापिस नहीं की जावेगी।
20. छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क एवं पैरामेडिकल संस्था द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क पृथक से देय करना अनिवार्य होगा।
21. प्रवेश के समय अभिभावक या स्वयं (इनसर्विस) के आय प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जो तहसलीदार द्वारा जारी की गई हो दिखाना अनिवार्य होगा।
22. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय दतिया के अंतर्गत पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक है । पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी अन्य महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की पात्रता नहीं होगी। इस आशय का शपथ–पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (काउंसलिंग प्रोफार्मा)

23. प्रवेश के समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उम्मीदवार की होगी:–

I. स्थानांतरण प्रमाण पत्र मूल प्रति।
II. प्रवर्जन प्रमाण पत्र मूल प्रति।
III. जाति प्रमाण पत्र मूल प्रति।
IV. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष 2022–2023 का) की मूल प्रति।
V. ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
VI. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति ।
VII. 10 पासपोर्ट साइज फोटो।
VIII. विभागीय कर्मचारियो को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल प्रति।
IX. विभागीय कर्मचारियों के लिये कार्यमुक्त प्रमाण पत्र मूल प्रति।
X. प्रवेशित अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों, हस्ताक्षर, पासपोर्ड साईज फोटो, अंगूठा का निशान का **JPEG, JPG, GIF, or PNG (Size 100 to 200 kb)** फाईल में स्केन कर डी.वी.डी बनाकर महाविद्यालय में जमा करना होगा ।
XI. गेप सर्टिफिकेट शपथ–पत्र मूल प्रति।
XII. अर्हकारी हाईस्कूल की अंकसूची मूल प्रति।।
XIII. अर्हकारी हायरसेकेण्डरी की अंकसूची (भोतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ) की मूल प्रति।

24. चयनित अभ्यर्थी पाठयक्रम में प्रवेश के समय महाविद्यालय द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वास्थ्य उपयुक्ता प्रमाण पत्र लेना होगा किसी भी अभ्यर्थी के स्वास्थ्य उपयुक्ता प्रमाण पत्र में बाधा होने आने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा ।

25. चयनित अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश उपरांत अन्य पाठ्यक्रमों में परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रवेशित छात्र अधिष्ठाता एवं संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुशासनात्मक नियंत्रण में रहेंगे, यदि छात्र का व्यवहार महाविद्यालय के नियमानुसार नहीं रहता है तो छात्र का प्रवेश किसी भी समय विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर निरस्त कर दिया जा सकेगा ।

26. प्रवेशित छात्रों को सख्त हिदायत दी जाती है कि शिक्षण शुल्क समय–समय पर जमा करते रहे अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा ।

27. छात्र–छात्रा द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के उपरांत अध्ययन वर्ष के दौरान कक्षा में एक भी दिन अध्यापन नहीं किया हो ऐसे छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त कराने/पाठ्यक्रम छोड़ने पर शैक्षणिक शुल्क में से 25 प्रतिशत का कटौत्रा कर शेष शैक्षणिक शुल्क वापिस किया जावेगा ।

28. छात्र–छात्रा द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के उपरांत अध्ययन वर्ष के दौरान कक्षा में एक भी दिन अध्यापन किया हो ऐसे छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त कराने/पाठ्यक्रम छोड़ने पर शैक्षणिक शुल्क 50 प्रतिशत का कटौत्रा कर वापिस किया जावेगा।

29. द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एक वर्ष समाप्त होने पश्चात दूसरे वर्ष का अध्यापन प्रारम्भ करने से पहले यदि छात्र–छात्रा प्रवेश निरस्त कराया जाता है तो छात्र–छात्रा को प्रथम वर्ष का पूर्ण शैक्षणिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा एवं द्वितीय वर्ष का

शैक्षणिक शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा छात्र–छात्रा द्वितीय वर्ष के छः माह के अंदर प्रवेश निरस्त कराता है तो द्वितीय वर्ष का 50 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष के छः माह के पश्चात पूर्ण शैक्षणिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा ।

30. छात्र–छात्रा से आशा की जाती है कि पैरामेडिकल छात्र अपने–अपने वांछित क्षेत्र में ही रहेगा एवं वह महाविद्यालय एवं संबंधित चिकित्सालय में नहीं घूमेंगे एवं हमेशा हल्का नीले रंग का एप्रेन पहनकर रहना अनिवार्य होगा ।
31. प्रवेशित छात्र की पैरामेडिकल काउंसिल के नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति सैद्धांतिक परीक्षा के लिए एवं 85 प्रतिशत उपस्थिति प्रायोगिक परीक्षा के लिए अनिवार्य रहेगी ।
32. प्रवेशित छात्र को नोड्यूज प्रमाण पत्र स्वशासी शाखा से प्राप्त करने के पश्चात् ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जावेगी ।
33. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया की स्वशासी कार्यकारिणीय समिति नये नियम बनाने, वर्तमान नियमों में संशोधन करने एवं सीटो की संख्या परिवर्तन (पाठयक्रम जारी रहने के दौरान भी) करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है जो कि प्रवेशित छात्रों के लिए बंधनकारी होगा।
34. न्यायालयीन परिवादों के निराकरण का कार्यक्षेत्र जिला न्यायालय दतिया होगा।

23/01/23

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
दतिया (म0प्र0)

काउंसलिंग प्रोफार्मा

//घोषणा–पत्र//

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नि .... शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम .... में प्रवेश के समय एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन–पत्र में दी गई समस्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतः सत्य है। सत्यापन पश्चात् दी गई जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाए जाने पर मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही इस संस्था में प्रवेश के पश्चात् अन्य किसी संस्था/विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लूंगा और ना ही अध्ययन करुंगा और ना ही अन्य संस्था से शासन द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करुंगा। मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी ऐसे कार्य में लिप्त नहीं होगा/होगी जिससे की शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया की छवि खराब हो । मैं शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं सिद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षा में नियममित रहूंगा/रहूंगी और किसी भी गैरअनुशासनात्मक कार्य जैसे कि रेगिंग, बहस, लड़ाई इत्यादि में भाग नहीं लूंगा/लूंगी । यदि मेरे द्वारा ऐसा किया जाता है, तो मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है एवं प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। उक्त पाठ्यक्रम हेतु निम्नलिखित दस्तावेज जमा किये जा रहे है:–

क.	दस्तावेज	हां/नहीं/लागू नहीं (अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण किया जावे)
1	शेष फीस की राशि की रसीद की छायाप्रति ।	
2	सीट आवंटन पत्र की छायाप्रति ।	
3	आधार कार्ड की छायाप्रति।	
4	10वीं बोर्ड परीक्षा की मूल अंकसूची /जन्म प्रमाण पत्र	
5	12 वीं बोर्ड परीक्षा मूल अंकसूची ।	
6	अंतिम वर्ष अंकसूची की मूल प्रति ।/गेप सर्टिफिकेट शपथ पत्र ।	
7	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. के मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति।	
8	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र की मूल प्रति ।(आरक्षित संवर्ग हेतु)	
9	शासन द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु)	
10	विकलांग/ई.डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।	
11	प्रर्वजन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।	
12	स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।	
13	10 पासपोर्ट साईज फोटो ।	
14	**ALL DOCUMENT (CD/D.V.D.)** **JPEG, JPG, GIF, or PNG (Size 200 to 220 kb)**	
15	मूल नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र/कार्यमुक्त प्रमाण पत्र (सेवारत अभ्यर्थी हेतु)	

आवेदक के हस्ताक्षर/नाम/पता

अविभावक के हस्ताक्षर/नाम/पता

गवाह के हस्ताक्षर/नाम/पता

दिनांक:–

स्थान:–

Documents Submision

GOVT. MEDICAL COLLEGE DATIA (M.P.)

S.NO. /Para.Sec./2025 **Datia, Date / /2025**

This is certify that Mr./Ms...

Father Name..Application No..

is admitted in..Paramedical Coures in this College through

on Date.................................2025 and the following Original Documents are with the College authority.

S.No.	NAME OF DOCUMENT	ORIGINAL (YES/NO)
1	Allotment Letter (1 Copy)	
2	10th Mark Sheet & Certificate (Date of Birth)	
3	12th Mark Sheet (Subjects)	
4	Last year passing Mark Sheet	
5	Domicile Certifcate	
6	Cast Certificate (SC/ST/OBC)	
7	Parents Annual Income Certificate	
8	Migration Certificate	
9	Transfer Certificate	
10	PH/EWS Certificate	
11	Aadhar Card (Coloured 01 Copy)	
12	10 Pass Port Size Photo	
13	Gap Certificate	
14	ALL DOCUMENT (CD/D.V.D.) JPEG, JPG, GIF, or PNG (Size 200 to 220 kb)	
15	Decleration Form	

Signature Of Student/Name

Father Name and Mo.No.

MEDICAL CHECK UP PROFORMA (2023-2024)

STUDENT NAME --APP. NO..

FATHER'S NAME...

COURSE NAME....................................

SURGERY SIGNATURE......................................

ORTHOPEDIC SIGNATURE......................................

E .N. T. SIGNATURE......................................

GYNAECOLOGY SIGNATURE......................................

OPTHALMOLOGY

Visual Acuity

Colour Vision SIGNATURE......................................

PATHOLOGY

Blood Group

Routine

Urine

Microscopic SIGNATURE......................................

MEDICINE

Final Remark by Medicine department Fit/Unfit

....SIGNATURE......................................